मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

नवम् प्रतिवेदन

(जुलाई, 2011 सत्र, भाग —3)

(यह प्रतिवेदन में सहकारिता तथा स्कूल शिक्षा विभाग के आश्वासनों से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन दिनांक 20 मार्च 2025 को सदन में प्रस्तुत.)

<u>विषय सूची</u>

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	समिति का गठन	एक
2.	प्रस्तावना	दो
3.	प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची	तीन
4.	विभागों के नाम:-	
	(1) सहकारिता	01
	(2) स्कूल शिक्षा	11

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2024-25)

सभापति

1. श्री हरिशंकर खटीक

सदस्यगण

2. श्री सुदेश राय
3. श्रीमती गायत्रीराजे पंवार
4. श्री मनोज निर्भयसिंह पटेल
5. श्री रमेश प्रसाद खटीक
6. श्री प्रदीप पटेल
7. श्रीमती मनीषा सिंह
8. श्री गौरव सिंह पारधी
9. श्री फूलसिंह बरैया
10. श्री विक्रान्त भूरिया
11. श्री दिनेश गुर्जर

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री ए.पी.सिंह	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री अरविन्द शर्मा	. .	सचिव
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार	. .	अपर सचिव
4.	श्री श्याम सुंदर राजपाल	. .	तकनीकी संचालक .
5.	श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा	. .	अवर सचिव
6.	श्रीमती कुन्दा जाम्भुलकर	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्री रवीन्द्र चिकटे	. .	सहायक ग्रेड-2
8.	श्री अभिनव शर्मा	. .	सहायक ग्रेड-3.

प्रस्तावना

- मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का **नवम् प्रतिवेदन (भाग-3)** (षोडश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

- यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 16 अगस्त , 2024 को गठित की गई है ।

- इस प्रतिवेदन में, **जुलाई 2011 सत्र (भाग-3)** में माननीय मंत्रीगणों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरांत आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया एवं उस पर समिति की अभ्युक्ति दी गई है ।

- समिति की बैठक **दिनांक 18.03.2025** में समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अंगीकृत किया गया ।

- समिति के सभी माननीय सदस्यों का मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूँ , जिनका सहयोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला है ।

- समिति प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने यथासमय विभागीय कार्यवाही एवं जानकारी प्रेषित कर सहयोग प्रदान किया ।

- समिति विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समिति के कार्य में निरंतर सहयोग प्रदान किया ।

स्थान : भोपाल

दिनांक : 18.03.2025

हरिशंकर खटीक

सभापति,

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	सहकारिता विभाग	389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
2.	स्कूल शिक्षा विभाग	411, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473

जुलाई, 2011 सत्र
(1) सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	389	परि.ता.प्र.सं. 68 (क्र. 1147) दि. 15.07.2011	होशंगाबाद में कार्यरत उप पंजीयक सहकारिता विनोद सिंह अपने संरक्षण में सहकारी बैंक सहित पूरे सहकारिता आंदोलन को नुकसान की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	जांच के निष्कर्षों के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जावेगी।	विभाग द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्री विनोद कुमार सिंह, उपायुक्त, सहकारिता होशंगाबाद के विरूद्ध कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिसमें 09 शिकायतों को नस्तीबद्ध किया गया। 01 शिकायत के निराकरण तथा 02 शिकायतों के आधार पर श्री विनोद कुमार सिंह, उपायुक्त, सहकारिता का स्थांतरण होशंगाबाद से रायसेन किया गया। शेष 01 शिकायत की जांच संयुक्त आयुक्त, सहकारिता नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा की गई जांच, प्रतिवेदन के अनुसार शिकायत/आवेदक की मांग विधि संगत नहीं होना पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 16-205/2011/15-2, दिनांक 10.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं
2.	390	अता.प्र.सं. 79 (क्र. 1262) दि. 15.07.2011	वर्ष 2011 में रायसेन जिले में किसानों से उपार्जित किये गये गेहूँ का समय सीमा में भुगतान न करने के दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच में पाये निष्कर्षों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।	रायसेन जिले में गेंहू उपार्जन में कृषकों को समय पर भुगतान न करने के संबंध में उपायुक्त रायसेन द्वारा जांच कराई गई। जांच के निष्कर्ष अनुसार किसानों को विलंब से भुगतान हेतु उपार्जन समिति के प्रबंधन दोषी नहीं पाये गये, वरन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकार/कर्मचारी दोषी है। पंजीयक के पत्र क्र. विप./उपा/1173 दिनांक 07.09.2012 के द्वारा जांच प्रतिवेदन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु लिखा जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10-219/2011/15-1, दिनांक 25.01.2015	प्रकरण में जॉच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

3.	391	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 370, 378, 379) दि. 20.07.2011	(1) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद की शाखा टिमरनी एवं पोखरनी में अपात्रों को ऋण माफी एवं ऋण राहत के लाभ की वसूली । (2) म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के 12 महाप्रबंधकों पर त्रुटिपूर्ण दावे प्रस्तुत करने पर कार्यवाही । (3) त्रुटिपूर्ण ऋण माफी के दोषियों पर कार्यवाही । (4) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना में हुए अनियमितता की जांच आर्थिक अपराध ब्यूरो से कराई जाना । (5) लहचुरा सोसायटी भिण्ड में गबन के आरोपी एम.डी. को निलंबित करने के पश्चात बहाल कर पदोन्नति किए जाने की जांच एवं कार्यवाही ।	(1) वसूली की जा रही है । (2) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (3) जो भी नियमों में प्राविजन होगा उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे । (4) जांच के अंतिम परिणाम आएंगे उसके बाद ही हम कोई कार्यवाही करेंगे । (5) उसकी जांच हम कर रहे है जांच जारी है इसमें पर्टिकुलर एक सोसायटी का विषय था तो ज्वाइंट अधिकारियों की टीम बैठाल कर जिसमें हम तीन जे.आर. को रखेगें फिर से हम जांच कराकर के सदन को अवगत करा देंगे । (6) हमारा जो आगामी बजट सत्र आयेगा उस समय में इसका सारा हां बजट सत्र में जांच प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेगें । (7) एक-एक बिन्दु पर हर एक माह में तीन ज्वाइंट रजिस्ट्रार बैठा कर जांच कर देंगे । (8) हमारी जांच हो चुकी है कार्यवाही विभिन्न स्तर पर प्रक्रियाधीन है और इसको हम अविलंब पूरा करेंगे और आपको अवगत करायेंगे सदन को अवगत करायेंगे । (9) नवम्बर के हमारे शीतकालीन सत्र से पूर्व पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।	(1) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद की शाखा टिमरनी एवं पोखरनी में आपात्रों को ऋण माफी एवं ऋण राहत के लाभ की वसूली विपरीत प्रविष्ठि (उलट समायोजन) कर की गयी है। (2) म.प्र. राज्य सहकारी बैंक के दोषी 13 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 9 की वेतनवृद्धि रोकी गयी। 01 को चेतावनी परिनिंदाका दंड, एक को दोषमुक्त एवं दो के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (3) प्राथमिक कृषि साख समिति स्तर पर दोषी 773 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 21 सेवा से पृथक, 236 को चेतावनी, 401 को अर्थदंड, 75 को चेतावनी व अर्थदंड दोनो, 23 को दोषमुक्त तथा 1 का त्यागपत्र, 3 मृत,11 प्रभार से पृथक तथा 2 को पदावनत किया गया। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के दोषी 1324 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 5 सेवा से पृथक, 570 की वेतनवृद्धि रोकी गई, 494 को चेतावनी, परिनिंदा, 37 को अर्थदंड, 29 सेवा से पृथक, 52 दोषमुक्त, 10 मृत, 3 सेवानिवृत्त, 15 सेवा से पृथक एवं 111 के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (4) लहचुरा सोसायटी भिंड में ऋण माफी/ऋण राहत प्रकरण में दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने हेतु बैंक महाप्रबंधक एवं उप पंजियक, भिंड द्वारा थाना प्रभारी मालनपुर से संपर्क करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण अपराधिक श्रेणी में नहीं आता। बैंक द्वारा पत्र क्र.3350 दिनांक 17.01.2012 से प्रकरण उप संचालक (अभियोजन) जिला न्यायालय भिंड से मार्गदर्शन चाहा गया। उनके द्वारा अभिमत दिया गया है कि प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया जाना उचित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 252/240/2015/15-1, दिनांक 28.01.2015	कोई टिप्पणी नहीं

4.	392	ता.प्र.सं. 14 (क्र. 2643) दि. 22.07.2011	कल्पना नगर, भोपाल में आवास संघ द्वारा नियम विरूद्ध भूखण्डों के विक्रय में अनियमितता बरते जाने की जांच प्रमुख सचिव, सहकारिता से कराने के दिये गये आश्वासन पर की गई कार्यवाही। (2) प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग द्वारा की जा रही जांच में जिन व्यक्तियों द्वारा करोड़ो रूपया इकट्ठा कर अपने रिश्तेदारों को बाटा जाना सिद्ध पाये जाने पर उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाना।	जांच कार्यवाही प्रगति पर है, 31 अगस्त के बाद जो रिपोर्ट जायेगी, जांच हो जायेगी, उसके बाद हम कार्यवाही करेगें, आसंदी की व्यवस्था का हम सम्मान करेगें। 31 अगस्त के पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगें। (2) कठोर से कठोर कार्यवाही करेगें।	विधानसभा सचिवालय के पत्र क्रमांक15389/वि.स./आश्वा./2019 दिनांक 27.09.2019 द्वारा कल्पना नगर के 07 भूखण्डों का पंजीयन निरस्त किये जाने की अद्यतन जानकारी चाही गई है, जो निम्नानुसार है:- म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ, भोपाल की कल्पना नगर की भूमि शून्य करने संबंधी निर्देश के पश्चात 07 भूखंडों की लीज डीड की रजिस्ट्री के निरस्तीकरण हेतु सिविल न्यायालय में 07 प्रकरण Declaration Suit लगाये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1265/2417/2019/15-1, दिनांक 08.11.2021	कोई टिप्पणी नहीं
5.	393	ता.प्र.सं. 07 (क्र. 1283) दि. 22.07.2011	झाबुआ, अलीराजपुर में कृषकों के लंबित बीमा क्लेमों को स्वीकृत कर भुगतान किया जाना।	बैंक द्वारा स्वीकृति हेतु प्रयास किया जा रहा है।	बैंक को भारतीय जीवन बीमा निगम भोपाल से कृषक समूह बीमा के दावा संख्या 16 सदस्य राशि रूपये 6.40 लाख एवं भारतीय जीवन बीमा निगम इंदौर के दावा सदस्य संख्या 290 राशि रूपया 51.77 लाख के सभी लंबित क्लेमों का निराकरण हो चुका है तथा प्राप्त राशि मृतक सदस्यों के दावेदार को प्रदाय की जा चुकी है। ब्जाज अलियान्ज जनरल इंश्योरेंस कं.लि. इंदौर से दावा सदस्य संख्या 2 राशि रूपये 1.00 लाख का क्लेम निराकरण हो चुका है तथा प्राप्त राशि मृतक सदस्य के दावेदार को प्रदाय की जा चुकी है। 22 दावा प्रकरणों की दावा राशि रूपया 11.00 लाख के क्लेम लंबित है। लंबित बीमा क्लेम निराकरण हेतु बजाज अलिन्याज जनरल इंश्योरेंस कं.लि. इंदौर के बैंक द्वारा पत्र क्रमांक फील्ड/बीमा/5239, दिनांक 31.12.2010/01.01.2011 पत्र क्रमांक 5656 दिनांक 20 24.01.2011 पत्र क्रमांक 1845 दिनांक 08.08.2011 एवं पत्र क्रमांक 3910 दिनांक 04.01.2012 जारी किया गया है। बैंक द्वारा स्वीकृति के प्रयास के फलस्वरूप अधिकांश प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 242/58/15-1/2012, दिनांक 08.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं

6.	394	परि.ता.प्र.सं. 06 (क्र. 625) दि. 22.07.2011	गुरूगोविन्द सिंह गृह निर्माण सहकारी संस्था उज्जैन की भूमि को नियम विरूद्ध गैर सदस्यों को विक्रय किये जाने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही ।	शेषांश जांच निष्कर्षाधीन ।		आश्वासन वर्ष 2011 का है लगातार पत्राचार किये जाने के बावजूद प्रकरण की प्रारंभिक जानकारी से समिति को अवगत न कराना विभागीय कार्य प्रणाली की उदासीनता को दर्शाता है इस पर समिति अप्रसन्नता व्यक्त करती है. और साथ ही अपेक्ष करती है कि आश्वासन अनुरूप विभाग कार्यवाही पूर्ण करेगा. इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
7.	395	परि.ता.प्र.सं. 21 (क्र. 1288) दि. 22.07.2011	चंद्रिका प्रसाद सोनी स्टेनो संयुक्त पंजीयक सहकारिता संभाग शहडोल के दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी के उपचार हेतु सहायता राशि दी जाना ।	प्रस्ताव का शीघ्र परीक्षण कर निराकरण कर सहायता नियमानुसार दी जावेगी ।	(1). श्री चंद्रिका प्रसाद सोनी, शीघ्रलेखक कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता शहडोल द्वारा दिनांक 27.07.2011 को स्वयं की बीमारी का निजी चिकित्सालय में उपचार कराने का चिकित्सा देयक अवधि दिनांक 25.09.2010 से 12.03.2011 तक रू. 515995.00 एवं दिनांक 21.04.2011 से 24 .04.2011 तक रू. 7620.00 का कार्योत्तर स्वीकृति का प्रकरण शहडोल कार्यालय द्वारा दिनांक 18.11.2011 को पुन: आपत्तियों का निराकरण कर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग को भेजा गया था। (2). संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ रीवा संभाग रीवा द्वारा पत्र दिनांक 09.02.2012 द्वारा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. भोपाल को भेजा गया। (3). संचालक स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 10.07.2012 द्वारा 5 बिन्दुओं की आपत्ति लगाकर चिकित्सा देयक संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा को वापिस किया गया था। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा द्वारा आपत्तियों का निराकरण करने हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता को वापिस किया गया। (4). संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा उक्त दोनों चिकित्सा देयक श्री चंद्रिका प्रसाद सोनी के वर्तमान पते पर आपत्तियों के	कोई टिप्पणी नहीं

					निराकरण हेतु भेजा गया। श्री सोनी द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएं द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10-23/2011/15-2, दिनांक 06.10.2013	
8.	396	परि.ता.प्र.सं. 35 (क्र. 1423) दि. 22.07.2011	प्रश्नकर्ता सदस्य के प्रश्न क्रमांक 6154 दिनांक 01 अप्रैल 2011 के संदर्भ में फर्जी राशन कार्ड के आधार पर आवंटन एवं वितरण में अनियमितता के दोषियों से राशि रूपये 19497773 की वसूली की कार्यवाही।	वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	कटनी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनियमितत की राशि वसूली के लिये कलेक्टर कटनी द्वारा आर.आर.सी. जारी कर तहसीलदार विजयराघवगढ़, बडवारा एवं बरही को वसूली हेतु अधिकृत किया गया है। कुल 50 प्रकरणों में से 11 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिनमें से 6 प्रकरणों में स्थगन दिया गया है। आयुक्त सहकरिता के कार्यालयीन पत्र क्रमांक उप/2/वि.स./2022/272 दिनांक 01.09.2022 के द्वारा कलेक्टर जिला कटनी से अद्यतन जानकारी चाहीं गई है। राशि वसूली की कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्ण की जाना है, जिनमें समय लगने की संभावना है। विभाग स्तर से कार्यवाही लंबित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1534/2022/15-1, दिनांक 02.09.2022	कोई टिप्पणी नहीं
9.	397	परि.ता.प्र.सं. 84 (क्र. 2216) दि. 22.07.2011	गरोठ विधान सभा क्षेत्र में डी.ए.पी. यूरिया का मांग के अनुपात में मार्कफेड द्वारा वितरण किया जाना।	खरीफ वर्ष 2011 हेतु वितरण व्यवस्था प्रक्रियाधीन है।	गरोठ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2011 में यूरिया हेतु निर्धारित लक्ष्य 4200 मे.टन के विरूद्ध विपणन संघ द्वारा 5001 मे.टन भंडारण कराया गया तथा 4620 मे.टन कृषकों को वितरित किया गया। इसी प्रकार डी.ए.पी. हेतु निर्धारित लक्ष्य 2550 मे.टन के विरूद्ध 2775 मे.टन डी.ए.पी. भंडारण कराया गया तथा 2742 मे.टन कृषकों को वितरण किया गया है। इस प्रकार गरोठ विधान सभा क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक यूरिया तथा डी.ए.पी. उर्वरक भंडारण कराते हुए किसानों को वितरण किया गया है। अत: आश्वासन अनुसार कार्यवाही की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1336/2012/15-1, दिनांक 23.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं

10.	398	परि.ता.प्र.सं. 110 (क्र. 2396) दि. 22.07.2011	उपायुक्त सहकारिता होशंगाबाद श्री विनोद सिंह द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी हेतु नियम विरूद्ध उपार्जन केन्द्र बनाकर हम्मालों को निर्धारित दर से कम भुगतान कर प्रासंगिक व्यय में भ्रष्टाचार की जांच एवं दोषियों से राशि की वसूली की जाना।	जांच में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।	संयुक्त आयुक्त सहकारिता भोपाल के जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री विनोद सिंह, तत्कालीन उप आयुक्त सहकारिता होशंगाबाद द्वारा नहीं वरन् कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा गेहूं खरीदी हेतु विपणन सहकारी संस्था बाबई को उपार्जन केन्द्र बनाया गया था तथा संस्था द्वारा उपार्जन से संबंधित हम्मालों को भुगतान कृषि उपज मंडी समिति द्वारा निर्धारित दर से किया गया। समर्थन मूल्य पर उपार्जन प्रासंगिक व्यय भुगतान आदि विपणन सहकारी संस्था का व्यवसायिक कार्य होने से तत्कालीन उप आयुक्त सहकारिता की भूमिका प्रमाणित होना नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1251/5381/2012/15-1, दिनांक 22.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं
11.	399	परि.ता.प्र.सं. 123 (क्र. 2512) दि. 22.07.2011	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्था ग्वालियर द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड को बंद करने हेतु संचालक मण्डल को दिये गये नोटिस का जवाब न दिये जाने पर संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही।	मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53(1) के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं चम्बल संभाग मुरैना द्वारा सहकारी अधिनियम के अंतर्गत आदेश क्रमांक विधि/11/779, दिनांक 02.12.2011 से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड के संचालक मण्डल को भंग किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-10-246/15-1/2011, दिनांक 06.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
12.	400	परि.ता.प्र.सं. 126 (क्र. 2587) दि. 22.07.2011	सेवा सहकारी समिति मर्यादित पथरिया एवं बनवार में अनियमितताओं के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कार्यवाही।	स्पष्टीकरण परीक्षणाधीन है।	श्री अखिलेश निगम तत्कालीन सहायक आयुक्त सहकारिता दमोह के विरूद्ध नियम-16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के द्वारा भविष्य के लिए सचेत करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 95/617/2018/15-2, दिनांक 20.01.2023	कोई टिप्पणी नहीं
13.	401	परि.ता.प्र.सं. 132 (क्र. 2617) दि. 22.07.2011	उप पंजीयक होशंगाबाद द्वारा गेहूँ उपार्जन में विपणन सहकारी संस्था बाबई में पदाधिकारियों की मिली भगत से हम्मालों को निर्धारित दर से कम भुगतान	कलेक्टर, होशंगाबाद से शिकायतों की जानकारी प्राप्त की जा रही है तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	उप पंजीयक होशंगाबाद द्वारा गेहूं उपार्जन में विपणन सहकारी संस्था बाबई में पदाधिकारियों की मिलीभगत से हम्मालों को निर्धारित दर से कम भुगतान किये जाने, प्रासंगिक व्यय में भ्रष्टाचार किये जाने की जनवरी 2011 से जून 2011 तक कलेक्टर होशंगाबाद को कोई शिकायत प्राप्त न होने से कोई	कोई टिप्पणी नहीं

			किये जाने तक प्रासंगिक व्यय में भ्रष्टाचार किये जाने की जनवरी 2011 से जून 2011 तक प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।		कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-10-235/15-1/2011, दिनांक 22.06.2012	
14.	402	परि.ता.प्र.सं. 137 (क्र. 2634) दि. 22.07.2011	मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति बैतूल की भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाकर सदस्यों को भूखण्ड उपलब्ध कराये जाना।	अतिक्रमण हटाने के उपरांत सभी आवश्यक शासकीय अनुमति प्राप्त कर सदस्यों को भू-खण्ड आवंटित किये जा सकेगें।	प्रकरण की अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है:- अतिक्रमण हटाने के उपरान्त संस्था की भूमि का सीमांकन होने एवं विवादित भूमि पर कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम पंचायत मरामझिरी से विकास की अनुमति ली जाकर नक्शा ले-आउट स्वीकृत कराया जाकर एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल से कालोनईजर का लाईसेन्स प्राप्त कर ले-आउट अनुसार 58 प्लाट प्राप्त हुये थे। संस्था के कुल 57 सदस्यों में से 55 सदस्यों द्वारा विकास राशि जमा की गई है, इन्हे प्लाट की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। 02 सदस्यों द्वारा विकास राशि जमा नहीं करने के कारण इन्हे प्लाट की रजिस्ट्री नहीं की गई है, 01 भूखण्ड संस्था कार्यालय हेतु सुरक्षित रखा गया है। उपरोक्तानुसार आश्वासन अनुरूप कार्यवाही की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 582/4181/2017/15/1, दिनांक 01.03.2017	कोई टिप्पणी नहीं
15.	403	परि.ता.प्र.सं. 140 (क्र. 2640) दि. 22.07.2011	ग्वालियर में आवास संघ द्वारा नियम विरूद्ध भूमि आवंटन के जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	अनियमिततायें परिलक्षित होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	प्रकरण की जांच तत्कालीन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग एवं श्री एस.एस.सिंधी, संयुक्त आयुक्त सहकारिता से कराई गई। जांच प्रतिवेदन पर आवास संघ द्वारा दी गई जानकारी अनुसार आवास संघ को राज्य शासन से आवंटित भूमि के भूखण्डों के संबंध में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं एवं प्रायवेट बिल्डर से किये गये एम.ओ.यू. से संबंधित 18 याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर एवं एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इन याचिकाओं में आवास संघ द्वारा भूखंड आवंटन की अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध चाहा गया है। प्रकरण न्यायालयों के विचाराधीन होने से न्यायालयीन निर्णय उपरांत की कार्यवाही की जा सकेगी।	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही करेगा।

					विभागीय पत्र क्रमांक :- 2549/1452/2016/15-1, दिनांक 12.08.2016	
16.	404	परि.ता.प्र.सं. 142 (क्र. 2650) दि. 22.07.2011	सहकारी बैंक होशंगाबाद के महा प्रबंधक पद पर एक ही आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संचालक मण्डल द्वारा उसी को नियुक्ति दिये जाने पर संचालक मण्डल के विरूद्ध कार्यवाही ।	याचिका के निर्णय उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के पत्र दिनांक 26.02.2013 द्वारा राज्य सहकारी अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण की चाही गयी अद्यतन स्थिति की जानकारी निम्नानुसार है :- म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल के आदेश दिनांक 25.02.2013 द्वारा श्री आर.के. दुबे महाप्रबंधक के संबंध में प्रस्तुत याचिका आवेदनकर्ता श्री चैतराम भैंसारे के लिखित आवेदन पर चाचिका वापस लेने से याचिका निरस्त कर दी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 278/2016/15-1, दिनांक 11.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं
17.	405	परि.ता.प्र.सं. 143 (क्र. 2651) दि. 22.07.2011	होशंगाबाद एवं हरदा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा ऋण माफी राहत योजना 2008 में अनियमिततायें करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही।	इन कर्मचारियों के विरूद्ध बैंक सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में ऋण माफी/ऋण राहत योजना 2008 में अनियमितताओं के लिये 91 दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों में से 62 को चेतावनी दी गई, 16 को दोषमुक्त किया गया, 1 ने त्यागपत्र दिया, 1 मृत एवं 11 को प्रभार से पृथक किया गया। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद के 69 दोषी कर्मचारियों में से 55 की वेतनवृद्धि रोकी गई, 5 सेवानिवृत्ति हुये, 2 को दोषमुक्त किया गया एवं 7 के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10-249/15-1/2011, दिनांक 06.02.2012	समिति इस अनुशंसा के प्रकरण समाप्त करती कि विभाग 07 दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें।
18.	406	अता.प्र.सं. 140 (क्र. 2619) दि. 22.07.2011	छतरपुर जिले में कृषकों/सदस्यों के ऋण वसूली हेतु ट्रेक्टर नीलामी के पूर्व खुली निविदा आमंत्रित न किए जाने एवं प्रदेश/जिला स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में इश्तेहार आदि प्रकाशित न किए जाने की जांच एवं कार्यवाही ।	संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, संभाग सागर को सूक्ष्यम जांच के निर्देश दिये गये है, तदुपरांत यथेष्ठ कार्यवाही संभव है ।	आश्वासन के संबंध में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक छतरपुर के ट्रेक्टर नीलामी प्रकरणों की जांच कराई गई। जांच में बैंक क कर्मचारियों को दोषी पाया गया। जांच में दोषी पाये गये 09 कर्मचारियों में से 07 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 02 कर्मचारी सेवारत् है। सेवारत् कर्मचारियों के विरूद्ध बैंक कर्मचारी सेवा नियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये परिनिंदा का दण्ड एवं एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्डादेश पारित किया जा चुका है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जांच प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट रूप से	कोई टिप्पणी नहीं

					नहीं पाया गया, जिससे य स्पष्ट हो सके कि उक्त कर्मचारियों द्वारा बैंक को किसी प्रकार से आर्थिक हानि पहुंचाई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-10/251/2011/15-1, दिनांक 14.09.2016	
19.	407	अता.प्र.सं. 151 (क्र. 2645) दि. 22.07.2011	पीतल पात्र एल्यूमिनियम उद्योग सहकारी संस्था भिण्ड को परिसमापन में लाये जाने की उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं की अनुशंसा पर की गई कार्यवाही।	उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	पीतल पात्र एवं एल्यूमिनियम उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित बैरागपुर भिण्ड को उप पंजीयक भिण्ड के आदेश क्र. परि.2012/458 दि. 23.06.2012 के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधान अंतर्गत परिसमापन में लाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-10-267/2011/15-1, दिनांक 25.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं
20.	408	अता.प्र.सं. 153 (क्र. 2647) दि. 22.07.2011	होशंगाबाद जिले में उपायुक्त सहकारिता द्वारा अधिकार न होते हुए भी नियम विरूद्ध संस्थाओं को पुनर्जीवित किये जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही।	जी हां, स्पष्टीकरण मांगा गया है।	तत्कालीन उपायुक्त होशंगाबाद से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक पाये जाने से निरस्त किया गया। अत एव कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10717/428/15-1/2011/, दिनांक 02.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं
21.	409	अता.प्र.सं. 156 (क्र. 2652) दि. 22.07.2011	जिला सहकारी बैंक होशंगाबाद से संबंद्ध सहकारी समितियों द्वारा गेहूँ खरीदी में हुए नुकसान/ गेहूँ की घटती से होने वाले नुकसान के लिये दोषी बैंक एवं समिति के अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही तथा नुकसान की संबंधितों से वसूली।	जांच में प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. होशंगाबाद से संबद्ध 30 सेवा सहकारी संस्थाओं द्वारा गेंहू खरीदी में हुए नुकसान एवं घटती से होने वाले नुकसान के संबंध में श्री आर.सी. घिया तत्कालीन संयुक्त आयुक्त संभाग भोपाल द्वारा जांच की गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार 04 संस्थाओं में घटती नहीं पाई गई। शेष 26 संस्थाओं में हुई घटती की वसूली एवं दोषियों पर कार्यवाही हेतु संयुक्त आयुक्त, नर्मदापुरम उप आयुक्त होशंगाबाद, सहायक आयुक्त हरदा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक होशंगाबाद को निर्देशित किया गया है। पैक्स देवगांव पिपरिया के दोषी कर्मचारी राजेश शर्मा से आंशिक राशि रूपये 1,10,000 एवं पैक्स चोकड़ी के प्रबंधक श्री दिनेश बघेल से राशि रूपये 1,14,000 जमा करा ली गई है। शेष संस्थाओं से वसूली एवं दोषियों पर कार्यवाही प्रचलन में है।	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग संस्थाओं से वसूली कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें।

					विभागीय पत्र क्रमांक :- 719/538/2016/15-1, दिनांक 05.03.2016	
22.	410	अता.प्र.सं. 157 (क्र. 2653) दि. 22.07.2011	होशंगाबाद, हरदा जिले की सह. समितियों में 31 मार्च 2011 तक रासायनिक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की साख सीमा कव्हर में क्षति की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही ।	जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही की जा सकेगी ।	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद से संबंध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में दिनांक 13.03.2011 पर रासायनिक खाद एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की साख सीमा कव्हर में क्षति के संबंध में बैंक की संबंधित शाखाओं के पर्यवेक्षक/शाखा प्रबंधक को जांच सौंपी गई थी। बैंक की सभी 17 शाखाओं से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं, जिसमें से 04 शाखाओं के जांच प्रतिवेदन में साख सीमा कव्हर में कोई कमी नहीं हुई है। शेष 13 शाखाओं के अंतर्गत संस्थाओं की साख सीमा कव्हर में क्षति की राशि वसूली हेतु संबंधित दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध सहकारी अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत सहकारी न्यायालय में वाद दायर करने हेतु संबंधित शाखा प्रबंधन/पर्यवेक्षक को बैंक द्वारा निर्देश दिये गये। निर्देश के पालन में बैंक की मुख्य शाखा होशंगाबाद द्वारा दिनांक 31.03.2011 को दोषी 07 कर्मचारी/अधिकारियों से राशि रूपये 51.11 लाख की वसूली हेतु सहकारी अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, नर्मदापुरम् के समक्ष दायर किये गये हैं, जो विचाराधीन है। शेष शाखाओं को पुन: बैंक के पत्र दिनांक 13.10.2016 से प्रकरण दायर करने हेतु निर्देश दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5001/2016/15-1, दिनांक 24.10.2016	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग दोषी 07 कर्मचारियों / आधिकारियों से राशि रूपये 51.11 लाख की वसूली करें।

जुलाई, 2011 सत्र
(2) स्कूल शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	411	ता.प्र.सं. 01 (क्र. 82) दि. 15.07.2011	झाबुआ व रानापुर विकासखण्डों में नवीन शासकीय स्कूलों का उन्नयन।	माध्यमिक शाला से हाई स्कूल उन्नयन किये जा रहे है।	वर्ष 2011-12 एवं 201617 में शा.माध्य. शालाओं के हाई स्कूल में उन्नयन के आदेश दि. 19.08.2011, दि. 16.11.2011 एवं दि. 03.08.2011 द्वारा जारी किए गए है। इन आदेश में झाबुआ जिले के झाबुआ वि.खं. में माध्यमिक शाला देवझिरी, मा.शाला. तलायी एवं रानापुर वि.खं. के माध्यमिक विद्यालय धामनीचामना एवं माध्यमिक विद्यालय खेरमाल का उन्नयन हाई स्कूल के रूप में किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 133/198/2018/20-2, दिनांक 30.01.2018	कोई टिप्पणी नहीं
24.	422	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 223) दि. 14.07.2011	टीकमगढ़ जिले के बेकडोर से अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाने संबंधी प्रकरण पर जांच एवं अतिशेष शिक्षकों का सुक्तियुक्तकरण किया जाकर पदस्थापना की जाना।	परीक्षण करा लेंगे।	टीकमगढ जिले में वर्ष 2011 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती का परीक्षण में सभी वर्गो के अतिथि शिक्षकों की भर्ती नियमानुसार पाई गई, वर्ष 2010 में टीकमढ जिले में युक्तियुक्त किया जाकर पदस्थापना की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 207/258/2015/20-2 दिनांक 16.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं
25.	423	ता.प्र.सं. 02 (क्र. 1261) दि. 15.07.2011	म.प्र. के रायसेन जिले की शालाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति।	व्यापम के माध्यम से शिक्षक दक्षता परीक्षा आयोजित कर शिक्षकों के पदों की पूर्ति की जाएगी।	व्यापम द्वारा आयोजित संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2011-12 में पात्र पाये गये तथा शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को मेरिट के आधार पर नियोजन की कार्यवाही की जाकर जिला पंचायत/जनपद पंचायत रायसेन अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 में 27, श्रेणी-2 में 298 एवं श्रेणी-3 में 481 पदों की पूर्ति की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 717/687/2014/20-3, दिनांक 05.06.2014	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					अद्यतन जानकारी - संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती हेतु व्यापम द्वारा पात्रता परीक्षा का आयोजित की जाकर संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 एवं 3 का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना की जाकर अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही निकायों द्वारा प्रदेश में भर्ती की कार्यवाही की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 413/477/2014/20-3, दिनांक 24.05.2014	
26.	424	ता.प्र.सं. 10 (क्र. 787) दि. 15.07.2011	बालाघाट जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध अनुकंपा नियुक्ति करने की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा।	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जबलपुर संभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 01.10.2014 के अनुसार प्रथम दृष्टया: प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर.के. लटारे एवं तत्कालीन संयुक्त संचालक श्रीमती शांति बावरिया (वर्तमान में सेवानिवृत्त) एवं श्रीमती जे. बिल्सन, तत्कालीन प्रभारी संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जबलपुर संभाग के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है। स्थापना शाखा लिपिक श्री बी.एस. साबनकर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट एवं श्री सतीश श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-2 कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग को निर्देश दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ/30-13/2011/20-1, दिनांक 16.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं
27.	425	परि.ता.प्र.सं. 08 (क्र. 309) दि. 15.07.2011	रतलाम ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में हाई स्कूलों में अध्यापक/प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति।	प्राचार्य के रिक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा कार्यवाही प्रचलित है। अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने हेतु पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है।	1. रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हाई स्कूलों में अध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में वर्तमान में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की पात्रता परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। वर्ग 1, 3 के परिणाम घोषित है किन्तु वर्ग 2 का परिणाम आना शेष है। तदुपरांत विज्ञापन उपरांत काउंसलिंग द्वारा नियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी। 2. प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में स्थिति यह है कि संचालनालय के आदेश क्र. स्था-1/राज/पी/83/2011/250 दिनांक 4.2.12 द्वारा प्रदेश के हाई स्कूलों में रिक्त प्राचार्य के	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					पदों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा की गई है। संस्थाओं में पदांकन ऑनलाईन काउंसलिंग द्वारा की गई है। रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सेमलिया मजारा, सूजापुर, कलालिया एवं तादोद विद्यालयों में पदस्थापना की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-273/2011/बीस-2, दिनांक 04.07.2012	
28.	426	परि.ता.प्र.सं. 16 (क्र. 415) दि. 15.07.2011	खाचरौद-नागदा विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों का हाई स्कूल में उन्नयन।	वित्तीय वर्ष 2012-13 में पात्रता अनुसार विचार किया जा सकेगा।	वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से माध्यमिक से हाईस्कूल में उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रस्ताव मंगवाए गये थे। प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1816/2065/2012/बीस, दिनांक 31.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
29.	427	परि.ता.प्र.सं. 17 (क्र. 416) दि. 15.07.2011	उज्जैन जिले के खाचरौद के ग्राम बंजारी में नवीन हाई स्कूल प्रारंभ व प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा प्रश्नकर्ता व गांव के सरपंच को आमंत्रित न कर शासन के निर्देशों व प्रोटोकाल का उल्लंघन के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रतिवेदन अनुसार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश पृ. क्रमांक 1100/एफ/01-106/।।/विकास-2/11 उज्जैन दिनांक 03.02.2012/16.02.2012 द्वारा श्री रणजीत सिंह चौहान, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी खाचरौद जिला उज्जैन को भविष्य के लिए सचेत किया जाकर प्रकरण समाप्त किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1622/1935/2012/बीस-2, दिनांक 30.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
30.	428	परि.ता.प्र.सं. 23 (क्र. 546) दि. 15.07.2011	रतलाम जिले में बंद हेड स्टार्ट केन्द्र चालू किया जाना।	नए उपकरण देने का कार्य प्रचलन में है।	रतलाम जिले के 13 हेडस्टार्ट केन्द्रों को नए उपकरण देने हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम को कार्यादेश दिया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2313/954/2012/20-2, दिनांक 20.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
31.	429	परि.ता.प्र.सं. 29 (क्र. 673) दि. 15.07.2011	खातेगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शिक्षक विहीन शालाऐं एवं एक शिक्षकीय शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति।	पात्रता परीक्षा आयोजित करने के उपरांत भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाकर रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी।	संविदा शाला वर्ग-1,2 एवं 3 की पात्रता परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से नियोजन की कार्यवाही की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30/40/2011/20-1, दिनांक 02.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	430	परि.ता.प्र.सं. 31 (क्र. 716) दि. 15.07.2011	सागर जिले की शालाओं में छात्रों की दर्ज संख्या के आधार पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती।	प्रकरण शासन के विचाराधीन है।	सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में शिक्षकों की पूर्ति पदोन्नति भर्ती स्थानांतरण एवं शेष शिक्षकों की पूर्ति अतिथि शिक्षकों द्वारा की जा चुकी है। वर्तमान में कोई भी शाला में शिक्षकों की कमी नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ – 30-135/2011/20-1/ पार्द दिनांक 10/03/2016	कोई टिप्पणी नहीं
33.	431	परि.ता.प्र.सं. 33 (क्र. 739) दि. 15.07.2011	नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गादिया की छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल प्रदाय की जाना।	यथाशीघ्र।	जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा दिनांक 31.03.12 को शासकीय माध्यमिक शाला गादिया को वर्ष 2008-09 की 18 छात्राओं तथा वर्ष 2009-10 की 23 छात्राओं को राशि जारी कर प्रधानाध्यापक द्वारा वितरण कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2414/1197/2012/बीस, दिनांक 26.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
34.	432	परि.ता.प्र.सं. 38 (क्र. 814) दि. 15.07.2011	अलीराजपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रारंभिक माह अप्रैल 2011 से आज तक छात्रावासों/ आश्रमों में पलंग एवं अन्य सामग्री घटिया किस्म की प्रदाय करने की जांच एवं कार्यवाही।	जांच उपरांत दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।	जांच उपरांत दोषी पाये जाने पर सहायक परियोजना समन्वयक श्री रामानुज शरण शर्मा को आदेश क्रमांक 5553 दिनांक 27.07.2011 द्वारा निलंबित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2388/1529/2012/बीस, दिनांक 23.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
35.	433	परि.ता.प्र.सं. 89 (क्र. 1266) दि. 15.07.2011	भिण्ड जिले की श्रीमती उमा दुबे सहायक अध्यापक शासकीय प्राथमिक विद्यालय लहार की जन्मतिथि में हेराफेरी की जाकर श्रीमती उमा देवी के पक्ष में असत्य प्रातणकरण करने की जांच एवं कार्यवाही।	जांच उपरांत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद लहार के पत्र दिनांक 08.02.2015 के अनुसार प्रतिवेदन कलेक्टर भिण्ड को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से प्रतिवेदन किया गया है। जिसमें प्रार्थियां श्रीमती उमादेवी के विरूद्ध कोई कार्यवाही वर्तमान में की जाना न्याय संगत नहीं है प्रतिवेदित किया गया है। भविष्य में यदि कोई ठोस साक्ष्य संज्ञान में आता है तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाने का उल्लेख है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता श्री विजय बहादुर सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह निवासी दबोह द्वारा भी श्रीमति उमादेवी के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक 3015/2012 वापिस कर ली है जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					08.01.2015 द्वारा अनुमत कर दिया गया है। संचालक लोक शिक्षण के पत्र दिनांक 02.09.2014, 26.09.2014, 18.11.2014 एवं दि. 09.10.2015 के द्वारा एवं आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा दिनांक 07.04.2015 को कलेक्टर भिण्ड को निराकृत करने हेतु लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** एफ – 30-145/2011/20-1 दिनांक 28/11/2011	
36.	434	परि.ता.प्र.सं. 96 (क्र. 1279) दि. 15.07.2011	इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और भोपाल के पांचो केन्द्रीय पुस्तकालयों में योग्यताधारी ग्रंथपालों की नियुक्ति।	योग्यताधारी ग्रंथपाल उपलब्ध होने पर उनकी पदस्थापना इन संस्थाओं पर की जायेगी।	क्षेत्रीय ग्रंथपाल के पदों पर ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी) से पदोन्नति का प्रावधान भर्ती तथा पदोन्नति नियमों मे है। इन पदों पर पदोन्नति हेतु दिनांक 27.6.12 को लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय पदो. समिति की बैठक सम्पन्न हो चुकी है। डी.पी.सी. की अनुशंसानुसार कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-147/2011/20-1, दिनांक 12.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
37.	435	अता.प्र.सं. 05 (क्र. 292) दि. 15.07.2011	जबलपुर नगर एवं जिले के जर्जर स्कूलों की मरम्मत का कार्य पूर्ण किये जाने की कार्यवाही।	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है।	जबलपुर नगर एवं जिला अन्तर्गत शा.उ.मा.वि. गणवेशगंज (केन्ट) जबलपुर के भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग जबलपुर को कार्य सौंपा गया, जिसके द्वारा सितम्बर, 2011 को कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में छत स्तर का निर्माण कार्य प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-186/2012/20-3, दिनांक 16.01.2013	कोई टिप्पणी नहीं
38.	436	अता.प्र.सं. 34 (क्र. 915) दि. 15.07.2011	शासकीय पूर्व मा.शाला पटेहरा में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री राजनारायण तिवारी के विरूद्ध प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन पर सुनवाई उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा के आदेश दिनांक 02.09.2011 के द्वारा श्री राजनारायण तिवारी, सहायक शिक्षक की जांच संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने एवं विशेष वेतनवृद्धि के कारण अधिक भुगतान की वसूली की शास्ति दी जाकर विभागीय जांच का प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-42/2011/20-4, दिनांक 28.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39.	437	अता.प्र.सं. 37 (क्र. 979) दि. 15.07.2011	म.प्र. में बी.एड. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संविदा शिक्षक वर्ग 2 एवं 3 की नियुक्ति की जाना ।	नवीन नियमों के अंतर्गत परीक्षा आयोजित कर भर्ती की जा सकेगी ।	संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, 2 एवं 3 की पात्रता परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। शासन द्वारा पदों की स्वीकृति उपरांत विज्ञापन जारी कर ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से नियोजन की कार्यवाही की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-146/2011/20-1, दिनांक 08.05.2014	कोई टिप्पणी नहीं
40.	438	अता.प्र.सं. 65 (क्र. 1211) दि. 15.07.2011	बालाघाट जिले के वारासिवनी खैरलांजी ब्लाको में हाई स्कूलों के उन्नयन की कार्यवाही ।	हाई स्कूल के उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है ।	वर्ष 2011-12 में बालाघाट जिले के वारासिवनी खैरलांजी ब्लाक में किसी हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किये जाने का अनुमोदन नहीं हुआ है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** आर क्र. 1636/2062/2014/20-2, दिनांक 30.09.2014	कोई टिप्पणी नहीं
41.	439	अता.प्र.सं. 73 (क्र. 1249) दि. 15.07.2011	सांची विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने की कार्यवाही द्।	शाला इसी वर्ष से आरंभ ।	सांची विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2010-11 में शा.मा.शाला जमुनियाखास, जिला रायसेन का हाईस्कूल में उन्नयन किया गया एवं वर्ष 2011-12 में शा.मा. शाला बरूखार, गुंडरई बम्होरीगोहद, पड़रियागंज जिला रायसेन का हाईस्कूल में उन्नयन किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-261/2011/बीस-2, दिनांक 30.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं
42.	440	अता.प्र.सं. 74 (क्र. 1252) दि. 15.07.2011	राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन ।	आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 में पात्रतानुसार विचार किया जा सकेगा ।	माध्य.शाला से हाईस्कूल में उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रस्ताव मंगवाए गये थे। प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरांत निर्णय लिया जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1673/2195/2014/20-2, दिनांक 10.10.2014	कोई टिप्पणी नहीं
43.	441	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.) दि. 19.07.2011	बडवाह विधान सभा क्षेत्र के सनावद नगर में संचालित गेंदाबाई दिगम्बर जैन कन्या प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को वर्ष 2008 से वेतन न मिलने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध जांच एवं	(1) शिक्षकों के स्वतत्व दिलवाने के लिए हर संभव वैधानिक कार्यवाही कर उन्हें उनकी सेलरी दिलाने का प्रयास करेगें । (2) जो जांच का विषय सामने आ रहा है वह पंजीयक फर्म्स एण्ड सोसायटी से जांच कराई जा सकती	म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय द्वारा पत्र क्रमांक 343/2955/09/अ/ग्यारह, भोपाल दिनांक 6.2.2014 द्वारा म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा-33 के तहत संस्था के प्रस्ताव अनुसार संस्था के शासी निकाय को शासन ज्ञाप क्रमांक एफ 1-151/2012/अ-ग्यारह, दिनांक 25.01.2014 से आरोप पत्र जारी करते हुए	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			वेतन भुगतान की कार्यवाही।	है जिला प्रशासन से मिलकर जांच कराकर दोषियों के खिलाफ जो कार्यवाही नियमानुसार संभव होगी वह की जा सकेगी। (3) जी ऐसा कर लेगें। (4) शीघ्रतिशीघ्र।	संस्था में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-165/2012/20-3, दिनांक 20.10.2014	
44.	442	ता.प्र.सं. 04 (क्र. 1998) दि. 22.07.2011	जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा केन्द्र प्रवर्तित आई.सी.टी. योजनान्तर्गत आवंटित राशि से खरीदे गये कम्प्यूटर एवं उसकी गुणवत्ता की जांच एवं कार्यवाही।	मैं महीने भर में जांच पूर्ण कराकर अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसको दण्डित किया जायेगा।	आई.सी.टी. स्कूल योजना अंतर्गत जबलपुर जिले के चयनित विद्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर का प्रमाणीकरण मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा चुका है। प्रमाणीकरण रिपोर्ट में किसी प्रकार की अनियमितता अंकित नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2416/2679/2012/20-2, दिनांक 26.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
45.	443	ता.प्र.सं. 05 (क्र. 1801) दि. 22.07.2011	जबलपुर जिले में वर्ष 2010-11 में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के नाम पर किये गये स्थानांतरणों की जांच के सी.ई.ओ. जिला पंचायत तथा संयुक्त संचालक के प्रतिवेदन में विरोधाभास होने पर पुन: जांच एवं कार्यवाही।	परीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। इसकी जांच में पुन: करवा दूंगी अतिशीघ्र।		आश्वासन वर्ष 2011 का है लगातर पत्राचार किये जाने के बावजूद प्रकरण की प्रारंभिक जानकारी से समिति को अवगत न कराना विभागीय कार्य प्रणाली की उदासीनता को दर्शाता है इस पर समिति अप्रसन्नता व्यक्त करती है. और साथ ही अपेक्ष करती है कि आश्वासन अनुरूप विभाग कार्यवाही पूर्ण करेगा. इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
46.	444	ता.प्र.सं. 11 (क्र. 2239) दि. 22.07.2011	रीवा जिले में वर्ष 2008 से अप्रैल 2011 तक भवन निर्माण, बाउण्ड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु बिना मूल्यांकन किये राशि आहरण की जांच एवं	इस पर जांच कराकर कार्यवाही करेगें। टर्मीनेट करने की आवश्यकता हुई हो उसको निश्चित तौर पर कर दिया जायेगा। कलेक्टर द्वारा धारा 40 में	अप्रारंभ कार्यों की कुल राशि रू. 241.90 लाख निर्माण एजेंसी से वापस प्राप्त की गई है। अनुचित रूप से राशि का आहरण करने वाली ग्राम पंचायतों के विरूद्ध विकासखण्ड स्तर से राशि वसूली के कार्यवाही के प्रकरण पंचायत राज अधिनियम के तहत जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपा जाकर वसूली	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			कार्यवाही।	कार्यवाही सरपंच सचिवों पर तो की ही जा रही है उपयंत्री पर भी कार्यवाही विभाग के द्वारा की जायेगी और दोषी पाये जाने पर और उसने अगर फ्राड किया है तो उससे वसूली भी की जायेगी।	की कार्यवाही प्रचलन में है। आंशिक रूप से अपूर्ण निर्माण कार्यों में पूर्व निर्माण एजेंसी के माध्यम से 13 कार्य पूर्ण कराये गये हैं तथा लापरवाही करने वाले 02 संविदा उपयंत्री के विरूद्ध कार्यवाही कर उनकी संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 105/1120/2014/20-3, दिनांक 08.11.2014	
47.	445	ता.प्र.सं. 20 (क्र. 2254) दि. 22.07.2011	चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लिपिक विहीन शालाओं में लिपिकों की नियुक्ति।	लिपिक विहीन शालाओं में पदों की पूर्ति पदोन्नति/नियुक्ति के माध्यम से संभव होगी।	प्रश्न दिनांक को सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में 08 विद्यालयों में पदपूर्ति कर दी गई हैं। 06 शालाएं लिपिक विहिन है। पदों की रिक्तता एवं पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। पदों की पूर्ति पदोन्नति/नियुक्ति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है। शीघ्र ही पदों की पूर्ति की जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-159/2011/20-1, दिनांक 20.10.2014	कोई टिप्पणी नहीं
48.	446	ता.प्र.सं. 22 (क्र. 2409) दि. 22.07.2011	प्रदेश की गैर मान्यता प्राप्त डी.एड. कॉलेजों में प्रवेश देने की जांच में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	दोषी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध कायम किया गया है जिसमें पुलिस की कार्यवाही अभी भी जारी है।	प्रकरण में श्री सुरेश तिवारी, सहा.ग्रेड-3 तथा श्री एन.डी. गौतम मशीनमैन उक्त कर्मचारी दोषी पाये जाने के कारण दोनों कर्मचारियों की कार्यालयीन आदेश क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-4/3129/14 दिनांक 10.01.2014 एवं कार्यालयीन /स्था./ए-4/3131/14 दिनांक 10.01.2014 द्वारा दो-दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 13/2844/2015/20-2 दिनांक 06/01/2016	कोई टिप्पणी नहीं
49.	447	परि.ता.प्र.सं. 02 (क्र. 196) दि. 22.07.2011	पन्ना जिले के हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के आये खराब परीक्षा परीणाम को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा अगले शिक्षण सत्र से सुधार के उपाय हेतु कार्यवाही	कमजोर बच्चों के लिये निदानात्मक कक्षाएं संचालित करने के प्रयास किये जा रहे है।	बोर्ड परीक्षा वाली कक्षाओं में अध्ययनरत एवं त्रैमासिक परीक्षा में डी एवं ई ग्रेड (44 प्रतिशत से कम) परीक्षा फल वाले विद्यार्थियों के लिये निदानात्मक कक्षाएँ 29.02.2012 तक संचालित की गई। कक्षा 10वीं की निदानात्मक कक्षाओं में कुल 7000 डी एवं ई ग्रेड के दर्ज विद्यार्थियों के विरूद्ध औसत उपस्थिति 5890 रही है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में डी एवं ई ग्रेड के कुल दर्ज 3090 विद्यार्थियों के विरूद्ध औसत उपस्थिति 2770 रही। निदानात्मक कक्षाओं की मोबाइल दजों द्वारा सघन निरीक्षण कर मॉनिटरिंग की गई। रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक रखे गये एवं उन्हें अध्यापन के पूर्व एक दिवस का	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					प्रशिक्षण भी दिया गया। इन प्रयासों से जिले का परीक्षाफल 4 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-166/2011/20-3, दिनांक 02.11.2012	
50.	448	परि.ता.प्र.सं. 26 (क्र. 1338) दि. 22.07.2011	संविदा शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन एवं एरियर्स का भुगतान किया जाना।	आदेश जारी किये जा रहे है, आदेश के प्रभावी होने के दिनांक से बढ़ा हुआ वेतन एवं यदि कोई एरियर हो तो देय होगा।	संविदा शाला शिक्षकों को बढ़े हुए वेतनमान दिये जाने बाबत आदेश म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्रमांक एफ-1-31/2011/20-1 दिनांक 27.07.11 के द्वारा जारी किये जा चुके है। एरियर्स का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-149/2011/20-1, दिनांक 21.10.2014	कोई टिप्पणी नहीं
51.	449	परि.ता.प्र.सं. 37 (क्र. 1473) दि. 22.07.2011	देपालपुर विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों में रिक्त पदों की पूर्ति।	रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	देपालपुर विकास खण्ड के अंतर्गत निम्न रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति से की गई है:- प्राचार्य हाईस्कूल-11, व्याख्याता-06, वरिष्ठ अध्यापक-13, अध्यापक-38, गणक- 03 एवं भृत्य- 03 तथा युक्तिकरण के तहत सहायक शिक्षक/सहायक अध्यापक 37 प्रधानाध्यापक 04 एवं अध्यापक 16 पदों पर पदस्थापना की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1778/2235/2014/20-2, दिनांक 29.10.2014	कोई टिप्पणी नहीं
52.	450	परि.ता.प्र.सं. 45 (क्र. 1655) दि. 22.07.2011	सुवासरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुवासरा एवं रूनीजा हाईस्कूल भवन का निर्माण पूर्ण कर कक्षाएं संचालित की जाना।	शेष कार्य पूर्ण होने पर यथाशीघ्र कक्षाएं संचालित की जावेगी।	विधानसभा क्षेत्र सुवासरा अंतर्गत सुवासरा एवं रूनिजा विद्यालय का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। शैक्षणिक सत्र 2012-13 में कक्षाऐं संचालित होगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1310/2012/20-3, दिनांक 07.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
53.	451	परि.ता.प्र.सं. 50 (क्र. 1710) दि. 22.07.2011	अशोकनगर विकासखण्ड में मॉडल स्कूल का भवन निर्माण एवं स्टाफ की पूर्ति।	कार्यवाही प्रचलन में है।	प्रदेश के सभी 201 मॉडल स्कूलों में भूमि का चयन हो चुका है तथा भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। शैक्षणिक कार्य के लिये स्टॉफ पूर्ति अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु दिनांक 11.06.2012 को आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं। जिससे सत्रारंभ से अतिथि शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-**	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					204/1084/2014/20-3, दिनांक 10.10.2014	
54.	452	परि.ता.प्र.सं. 65 (क्र. 1891) दि. 22.07.2011	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार पात्र केन्डीडेटो को प्राचार्य बनाया गया एवं अपात्रों को हटाकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार परीक्षण कर कार्यवाही की जा सकेगी।	(1) मान. उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उच्च स्तरीय समिति गठित कर प्रकरण का परीक्षण किया गया। समिति की अनुशंसानुसार श्री श्याम नारायण शर्मा, प्राचार्य, उ.मा.वि. को सेवा से हटाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। (2) समिति की अनुशंसानुसार श्री राम प्रसाद गुप्ता, प्राचार्य, उ.मा.वि. को दिनांक 03.09.2011 को निलंबित किया जा चुका है। इनके विरूद्ध विभागीय जांच लोक शिक्षण संचालनालय स्तर पर प्रचलन में है। (3) समिति अनुशंसानुसार श्री हनीफ खान, प्राचार्य, उ.मा.वि. को दिनांक 03.09.2011 निलंबित किया जा चुका है एवं उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में संचालनालय के पत्र दिनांक 17.10.2011 से अतिरिक्त आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-50/2011/बीस-4, दिनांक 25.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
55.	453	परि.ता.प्र.सं. 69 (क्र. 1999) दि. 22.07.2011	जबलपुर में आई.सी.टी.आई. योजनान्तर्गत कम्प्यूटर खरीदी में की गई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन अप्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	(1) संचालनालय के आदेश क्र./सत/लो/एम/8/09/1314-1315 दिनांक 06.08.2010 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। (2) विभागीय जांच विरूद्ध – श्री डी.के. खरे द्वारा मान. उच्च. न्यायलय जबलपुर में याचिका क्र. 13320/10 दायर की गई जिसमें मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2010 को निर्णय पारित कर याचिकाकर्ता को प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, उक्त क्रम में विभाग अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, उक्त क्रम में विभाग के आदेश दिनांक 05.11.2014 एवं संशोधित आदेश दिनांक 04.12.2014 द्वारा संबंधित के अभ्यावेदन को पूर्ण विचारोपरांत अमान्य करते हुए, संस्थित विभागीय जांच निरंतर रखने के आदेश जारी किये गये है। (3) विभाग के पत्र क्र. एफ 17-28/2013/20-4 दिनांक 26.06.2015 द्वारा विभागीय जांच की प्रगति/अद्यतन स्थिति से	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					अवगत कराते हुए जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर को निर्देशित किया गया है। (4) श्री खरे के विरूद्ध एक अनय समरूप शिकायत आर्थिक अपराध ब्यूरो म.प्र. भोपाल को प्राप्त होने पर ब्यूरो में पंजीबद्ध अपराध क्र. 27/2013 के संबंध में ब्यूरों द्वारा जांच उपरांत प्रकरण सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग से अभियोजन स्वीकृति चाही गई। तत्संबंध में श्री खरे के विरूद्ध विभागीय आदेश दिनांक 20.08.2015 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति जारी की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** 256/246/2016/20-4 दिनांक 06/02/2016	
56.	454	परि.ता.प्र.सं. 72 (क्र. 2039) दि. 22.07.2011	विधानसभा प्रश्नों के गलत उत्तर देने के आरोप में लिप्त श्री टी.पी. सिंह तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, सतर्कता लिपिक श्री पवन कुमार श्रीवास्तव सहायक वर्ग-2 श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव सहायक वर्ग-2 के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही ।	परीक्षणोपरांत गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।	श्री टी.पी. सिंह, तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सतना के विरूद्ध दिनांक 12.09.2011 को विभागीय जांच संस्थित की जा चुकी है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा द्वारा विभागीय जांच की जा रही है। इस प्रकरण में लिपिक श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, सहायक वर्ग-2 एवं वर्ग-3 को आरोप पत्र जारी किया गया था। आरोप पत्र के उत्तर पर अभिलेखीय आधारपर परीक्षणोपरांत संबंधितों पर आरोप प्रमाणित न पाये जाने के कारण शिकायत दिनांक 28.03.2012 को नस्तीबद्ध की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-47/2011/बीस-4, दिनांक 19.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
57.	455	परि.ता.प्र.सं. 73 (क्र. 2040) दि. 22.07.2011	श्री टी.पी. सिंह प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा स्थानांतरण आदेश का पालन न करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही।	संबंधित द्वारा पालन न करने की स्थिति में विभागीय कार्यवाही की जायेगी ।	संचालनालय के आदेश दिनांक 12.6.13 द्वारा श्री टी.पी. सिंह, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सतना के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच बिना कोई शास्ति अधिरोपित किये समाप्त की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-152/2011/20-1, दिनांक 02.12.2014	कोई टिप्पणी नहीं

58.	456	परि.ता.प्र.सं. 85 (क्र. 2217) दि. 22.07.2011	वर्ष 2004 से प्रश्न दिनांक तक गरोठ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हाईस्कूल भवनों का शीघ्र निर्माण।	कार्यवाही प्रचलन में है।	वर्ष 2008 में मंदसौर जिले के गरोठ विधानसभा क्षेत्र में शास. हाईस्कूल चचावदा, पठारी का कार्य मंडल बोर्ड निर्माण एजेंसी द्वारा तकनीकी कारणों से कार्य प्रारंभ न करने के कारण उक्त कार्य नवीन एजेंसी लोक निर्माण विभाग उज्जैन को संचालनालय के आदेश दिनांक 25.06.2011 के द्वारा अधिकृत किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1312 / / 2012/20-3, दिनांक	कोई टिप्पणी नहीं
59.	457	परि.ता.प्र.सं. 89 (क्र. 2255) दि. 22.07.2011	चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उ.मा.वि. हाईस्कूल में पूर्ण कालीन प्राचार्य एवं व्याख्याता के रिक्त पदों की पूर्ति।	रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति सीधी भर्ती के द्वारा की जायेगी।	(1) चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हाईस्कूल .... में अप्रैल 12 से पदस्थ किया गया है। हायर सेकेण्डरी खुटहा, मझगवां में सितम्बर 2011 में पदस्थापना की गई है। (2) चित्रकूट विधानसभा अंतर्गत मझगंवा, खोही, कारीगोही, जैतवारा सतना में व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से की जाकर आदेश दिनांक 18.01.2012 द्वारा पदोन्नति उपरांत पदस्थापना की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-160/2011/20-1, दिनांक 12.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
60.	458	परि.ता.प्र.सं. 94 (क्र. 2272) दि. 22.07.2011	रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति।	संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति के लिये पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिये कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1,2 एवं 3 की पात्रता परीक्षा संपन्न हो चुकी है। शासन द्वारा पदों की स्वीकृति उपरांत विज्ञापन जारी कर ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से नियोजन की कार्यवाही की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-165/2011/20-1, दिनांक 04.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं
61.	459	परि.ता.प्र.सं. 99 (क्र. 2320) दि. 22.07.2011	उज्जैन जिले में हाईस्कूल पित्रामल के स्थान पर बडागांव में खोलने की कार्यवाही।	कार्यवाही प्रचलित है।	वर्ष 2013-14 में संचालनालय के आदेश क्रमांक 594-595 दिनांक 02.08.2013 को शास.हाई स्कूल बडागांव जिला उज्जैन का हाई स्कूल में उन्नयन आदेश जारी किया गया है। कार्यवाही पूर्ण। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** आर क्र. 2054/2574/2014/20-2, दिनांक 22.12.2014	कोई टिप्पणी नहीं
62.	460	परि.ता.प्र.सं. 131 (क्र. 2609) दि. 22.07.2011	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा वाईफ डब्ल्यू.ए. 1036/2006 तथा डब्ल्यू ए 1100/2006 एवं डब्ल्यू ए	समिति के प्रतिवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	(1) मान. उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उच्च स्तरीय समिति गठित कर प्रकरण का परीक्षण किया गया। समिति की अनुशंसानुसार श्री श्याम नारायण शर्मा, प्राचार्य, उ.मा.वि. को सेवा से हटाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।	कोई टिप्पणी नहीं

			724/2007 को दिये गये निर्णय दिनांक 28.10.2010 में फर्जी प्राचार्यों के विरूद्ध तयशुदा समय सीमा में कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर कार्यवाही ।		(2) समिति की अनुशंसानुसार श्री राम प्रसाद गुप्ता, प्राचार्य, उ.मा.वि. को दिनांक 03.09.2011 को निलंबित किया जा चुका है। (3) समिति अनुशंसानुसार श्री हनीफ खान, प्राचार्य, उ.मा.वि. को दिनांक 03.09.2011 को निलंबित किया जा चुका है एवं उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में संचालनालय के पत्र दिनांक 17.10.2011 से अतिरिक्त आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-46/2011/बीस-4, दिनांक	
63.	461	अता.प्र.सं. 30 (क्र. 1393) दि. 22.07.2011	सीधी एवं सिंगरौली जिले के विद्यालयों में कन्टेजेंसी राशि प्रदान नहीं के दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने की कार्यवाही ।	जवाब का परीक्षण कर नियमानुसार योग्य कार्यवाही की जायेगी ।	(1) जिला सीधी में शाला प्रबंधन समितियों के खाते में त्रुटिपूर्ण भेजने पर संबंधित दोषी कर्मचारियों की एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के जिले के आदेश क्रमांक 3829/11.06.2012 जिले द्वारा जारी किये जा चुके है। (2) जिला सिंगरौली द्वारा शाला प्रबंधन समितियों के समस्त खाते ठीक करा लिये गये है। त्रुटिपूर्ण खाते भेजने पर संबंधित विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों को चेतावनी जारी करने का पत्र 1086 दिनांक 07.05.2012 जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-270/2012/20-3, दिनांक 13.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
64.	462	अता.प्र.सं. 71 (क्र. 2063) दि. 22.07.2011	सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाना ।	म्याना हाईस्कूल को उन्नयन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।	राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शास.हाईस्कूल म्याना एवं शास. हाई स्कूल धामान्दा का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन वर्ष 2011-12 में किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-313/2011/बीस-2, दिनांक 04.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
65.	463	अता.प्र.सं. 74 (क्र. 2091) दि. 22.07.2011	छतरपुर जिले में वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी पर लगे आरोपों की जांच एवं कार्यवाही ।	प्रतिवाद प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।	श्री एस.के. त्रिपाठी, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जिला छतरपुर के विरूद्ध लगे आरोपों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रं. स्था-1/सत/सी/113/ 10/रीवा/272-73 दिनांक 14.3.13 द्वारा उनकी दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 30-154/2011/20-1, दिनांक 16.08.2013	कोई टिप्पणी नहीं

66.	464	अता.प्र.सं. 78 (क्र. 2148) दि. 22.07.2011	सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ प्राथमिक विद्यालय में विषयवार शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति।	रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है।	रिक्त पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से उमावि./प्रावि. में निम्नानुसार पदपूर्ति की गई:- 1. उ.मा.वि. :- संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 में 02 (सीधी भर्ती से) एवं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 में 19 (सीधी भर्ती से) तथा सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर (पदोन्नति से) 11 पदों की पूर्ति की गई। 2. प्राथमिक शाला :- संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 में 34 (सीधी भर्ती से) पदों की पूर्ति की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30/181/2011/20-1/P.F., दिनांक 05.06.2014	कोई टिप्पणी नहीं
67.	465	अता.प्र.सं. 78 (क्र. 2154) दि. 22.07.2011	राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम करेडी में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा का क्रियान्वयन।	शीघ्र उन्नयन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम करेडी में शास. हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन वर्ष 2011-12 में किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 385/411/2013/बीस-2, दिनांक 18.02.2013	कोई टिप्पणी नहीं
68.	466	अता.प्र.सं. 91 (क्र. 2256) दि. 22.07.2011	प्रदेश के प्रत्येक शासकीय विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था की जाना।	नियमानुसार शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।	शाला भवनों में जहाँ कही भी शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, चिन्हित करते हुये जिले की मांग अनुसार 40758 शौचालय स्वीकृत किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-248/2012/20-3, दिनांक 23.09.2013	कोई टिप्पणी नहीं
69.	467	अता.प्र.सं. 94 (क्र. 2277) दि. 22.07.2011	उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु राशि आहरित की जाने के पश्चात कार्य प्रारंभ नहीं करने वाली एजेंसियों से राशि की वसूली की जाकर कार्य पूर्ण किया जाना।	निर्माण एजेंसी से वसूली की कार्यवाही की जावेगी यथाशीघ्र।	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वसूली द्वारा राशि वसूली के संबंध में नोटिस जारी किये जाने के बाद संबंधित निर्माण एजेंसियों ने शेष निर्माण कार्य पूर्ण करा दिये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-249/2013/20-3, दिनांक 29.08.2013	कोई टिप्पणी नहीं

70.	468	अता.प्र.सं. 104 (क्र. 2368) दि. 22.07.2011	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत श्री एस.के. श्रीवास्तव सहायक यंत्री को निर्माण कार्यों का प्रभारी तथा श्री ओ.पी. श्रीवास्तव पशु चिकित्सा अधिकारी को तकनीकी अधिकारी के सहायक पद पर पदस्थ किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	प्रकरण में जांच उपरांत यथोचित कार्यवाही की जायेगी।	श्री एस.के. श्रीवास्तव सहायक यंत्री मूलत: जल संसाधन विभाग के थे, जो कि दिनांक 31.08.10 को सेवानिवृत्त हो चुके है। श्री ओ.पी. चौधरी की सेवायें कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर के ज्ञाप क्र. 111/जि.पं./स्था./2012 दिनांक 29.03.12 द्वारा उनके पैतृक विभाग कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें छतरपुर को वापस की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 697/772/2014/20-2, दिनांक 27.05.2014	कोई टिप्पणी नहीं
71.	469	अता.प्र.सं. 114 (क्र. 2445) दि. 22.07.2011	जिला सिंगरौली के विद्यालयों के उन्नयन हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा सूची पर कार्यवाही।	नियमानुसार पात्रता रखने वाले ग्रामों में प्राथमिक शालाएं खोली जा सकेगी।	जिला योजना समिति की बैठक मार्च 2011 में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन पश्चात 8 प्राथमिक शाला एवं 16 प्राथमिक पाठशाला का माध्यमिक शाखा में उन्नयन किया जाकर संचालित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-298/2011/बीस-2, दिनांक 03.05.2013	कोई टिप्पणी नहीं
72.	470	अता.प्र.सं. 115 (क्र. 2446) दि. 22.07.2011	जिला सिंगरौली के देवसर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कर्थुरा सिंगाही खनुआ खास के विद्यालय भवनों को पूर्ण कराया जाना।	कार्यों को पूर्ण करने हेतु एक माह का समय दिया गया है।	ग्राम खनुआ खास एवं ग्राम सिंगाही के निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। ग्राम कर्थुरा के निर्माण कार्य में एजेंसी की उदासीनता के कारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया जाकर आर.आर.सी.के आदेश जारी किये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-303/2012/20-3, दिनांक 18.10.2012	कोई टिप्पणी नहीं
73.	471	अता.प्र.सं. 122 (क्र. 2486) दि. 22.07.2011	बदनावर विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों के उन्नयन के लंबित प्रस्तावों पर कार्यवाही।	हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन की प्रक्रिया प्रचलन में है।	वर्ष 2011-12 बदनावर विधानसभा क्षेत्र में किसी हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये जाने का अनुमोदन नहीं हुआ है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1626/1853/2012/बीस-2, दिनांक 30.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
74.	472	अता.प्र.सं. 139 (क्र. 2611) दि. 22.07.2011	भोपाल संभाग के स्कूलों के प्राथमिक, मीडिल एवं हाईस्कूल भवनों का निर्माण समय सीमा में पूर्ण किया जाना।	भवनों के निर्माण समय सीमा दिसम्बर 2011 है भवन वर्तमान में निर्माण की प्रक्रिया में है।	भोपाल संभाग के अंतर्गत समस्त निर्माणधीन हाईस्कूल भवन जिनकी निर्माण समय सीमा दिसम्बर 2011 थी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 788/222/2016/20-3 दिनांक 13/04/2016	कोई टिप्पणी नहीं

75.	473	अता.प्र.सं. 142 (क्र. 2623) दि. 22.07.2011	चंदला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल खड्डी विकासखण्ड बारीगढ का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन।	बारीगढ का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है।	शा.हाईस्कूल खड्डी विकासखण्ड बारीगढ़ का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन का आदेश जारी किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-297/2011/बीस-2, दिनांक 27.06.2013	कोई टिप्पणी नहीं

स्थान : भोपाल

दिनांक : 18.03.2025

हरिशंकर खटीक

सभापति,

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति